पत्रांक –सं०सं०–UM/NMFP/CC/942013--------------------

बिहार सरकार

खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन अंतर्गत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि और परिरक्षण अवसंरचना प्रकल्प के अंतर्गत सर्वश्री अलसमीर एक्सपोर्ट प्रा० लि०, सिमराहा, फारबिसगंज, जिला–अररिया को ₹103.19 लाख (एक करोड़ तीन लाख उन्नीस हजार रूपए मात्र) की स्वीकृति एवं ₹69.41 लाख (उनहत्तर लाख एकतालिस हजार रूपए मात्र) की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन अंतर्गत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि और परिरक्षण अवसंरचना प्रकल्प के अंतर्गत विभागीय ज्ञापांक–DFP/F1-46/11–309, दिनांक–30.04.2013 द्वारा **सर्वश्री अलसमीर एक्सपोर्ट प्रा० लि०, सिमराहा, फारबिसगंज, जिला–अररिया को कोल्ड चेन की स्थापना हेतु अनुदान के रूप में** स्वीकृत राशि ₹412.78 लाख (कुल चार करोड़ बारह लाख अठहत्तर हजार रूपए मात्र) के विरूद्ध प्रथम किस्त के रूप में 25 प्रतिशत की दर से ₹103.20 लाख (कुल एक करोड़ तीन लाख बीस हजार रूपए मात्र) एवं द्वितीय किस्त के रूप में 50 प्रतिशत की दर से ₹206.39 लाख (दो करोड़ छः लाख उनचालीस हजार रूपए मात्र) कुल 309.59 (तीन करोड़ नौ लाख उनसठ हजार रूपए मात्र) की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

2. उक्त के क्रम में स्वीकृत अनुदान का तृतीय एवं अंतिम किस्त के रूप में ₹103.19 लाख (एक करोड़ तीन लाख उन्नीस हजार रूपए मात्र) के भुगतान की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ दी जाती है कि उपलब्ध कराए गए साक्ष्य/प्रमाण पत्र एवं अनुदान की गणना में कोई त्रुटि पायी जाती है तो ईकाई को यह राशि उद्योग विभाग को वापस करनी होगी।

3. उक्त अंतिम किश्त की राशि में से ₹33.78 लाख (तैंतीस लाख अठहत्तर हजार रूपए मात्र) का भुगतान उद्योग मित्र में पूर्व से रक्षित राशि से किया जाएगा।

4. शेष ₹69.41 लाख **(उनहत्तर लाख एकतालिस हजार रूपए मात्र)** Committed Liabilities **के रूप में 33 01 सब्सिडी मद में उपलब्ध राशि से की जाएगी।**

5. उक्त राशि का व्यय वहन मांग–23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2404– खाद्य, भंडारण तथा भांडागार, उपमुख्य शीर्ष–01– खाद्य, लघु शीर्ष–103– खाद्य संसाधन, उपशीर्ष–0301–राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, विपत्र कोड –P240801103030 1 राज्य योजना स्कीम कोड–IND–9204

विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी में राज्यादेश संख्या-188, दिनांक-04.03.16 द्वारा उपबंधित राशि एवं आवंटनादेश संख्या 139/आ0, दिनांक-08.03.16 के द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से विकलनीय होगी।

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशाखा पदाधिकारी-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना होंगे।

7. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।

8. इस राशि की निकासी **"पूर्व प्राप्ति रसीद"** पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।

9. इस राशि का भुगतान **सर्वश्री अलसमीर एक्सपोर्ट प्रा0 लि0, सिमराहा, फारबिसगंज, जिला- अररिया** को पंजाब नेशनल बैंक, ए0डी0बी0 चौक ब्रांच, अररिया, खाता सं0-4933002100001108 आई0एफ0एस0सी0 कोड-PUNB0493300 **में भुगतेय डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT** के माध्यम से की जाएगी।

ह0/-

निदेशक (खा0प्र0),

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 306

पटना, दिनांक 29/03/16

प्रतिलिपिः- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर नाम के साथ-साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।

ह0/-

निदेशक (खा0प्र0),

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रशाखा पदाधिकारी-सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ **सर्वश्री अलसमीर एक्सपोर्ट प्रा0 लि0, सिमराहा, फारबिसगंज, जिला-अररिया** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3

निदेशक (खा0प्र0),

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Vishwanath section-2